Recd on 9/2/2021
At 5 PM

सत्यमेव जयते

**संख्या : / जी0एस0 / शिक्षा / A3-82/2019**

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड** **देहरादूनः दिनांक 05 फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 1701/केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21 की अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नांकित उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

| क्रमांक | महाविद्यालय/संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार) | अस्थाई सम्बद्धता की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा | बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र) | 160 सीट | सत्र 2020–21 |

(1) यू0जी0सी0 विनियम व विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप छात्र हित में मानक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(2) अग्रेत्तर सत्रों में सम्बद्धता हेतु यू0जी0सी0 विनियम में निहित प्राविधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित संस्थानों/महाविद्यालयों में समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायं।

(3) यदि सम्बद्धता/पूर्वानुमोदन के पश्चात मानक पूर्ण न होने की दशा में किसी महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा कोई शिकायत मा0 कुलाधिपति महोदया के संज्ञान में आती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार समस्त मानक पूर्ण होने की दशा में/समस्त मानक पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति जी के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(बृजेश कुमार संत)**
कुलाधिपति के सचिव।

**संख्या : 2857 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-82 /2019 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु। (IT)

आज्ञा से,

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**
कुलाधिपति के अपर सचिव।